

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

नलकूप व पम्पसेट के लिए बिजली के लिए आवेदन-पत्र

A Notary Public



Ramesh Kumar Singh
NOTARY PUBLIC
Jh. Mohammidi, Kanpur U.P.

सेवा में,

सहायक/अशिधासी अभियंता,
विद्युत वितरण उपखण्ड/खण्ड

रजिस्ट्रेशन संख्या.....
25/रू० की रसीद संख्या.....
दिनांक.....

1- (क) प्रार्थी का नाम और पता - राम बिलक्य

(ख) पिता का नाम - राम लाल

(ग) नाम ग्राम जिसमें बिजली लेनी है - रामपुरी

2- बिजली की शक्ति की मात्रा, जिसके लिए आवेदन पत्र दिया जा रहा है। 7.5 HP

3- प्रार्थी का एकड़ों में यह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी। 891 रुबा 0.635 हे०

जमीन के टुकड़ों का पूरा विवरण उनका क्षेत्र संख्या स्थित आदि का पूरा विवरण

4- इच्छाब की नकल संलग्न की गई। हाँ

5- नया नलकूप की बोरिंग (खुदाई) की गयी है। संलग्न है।

6- नलकूप की बोरिंग का खण्ड विकास अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया

7- इससे पूर्व कृषि योग्य भूमि की सिंचाई किस साधन से की जाती थी।

8- प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटवर्ती नहरों के बीच की दूरी। यदि निजी नलकूप नहर की 100 मीटर की दूरी से कम पर स्थित है तो बिजली की स्वीकृति के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

9- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। 7 मीटर

10- पाइप का व्यास घलनी (स्टेनर) की लम्बाई बोरिंग (खुदाई) की गहराई स्रोत की वजह, पहले चले पानी फूटने की सतह की गहराई। 130 मिटर/105 रु०

11- नलकूप का व्यास घलनी (स्टेनर) की लम्बाई बोरिंग (खुदाई) की गहराई स्रोत की वजह, पहले चले पानी फूटने की सतह की गहराई। 7 मीटर

12- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। 7 मीटर

13- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। 7 मीटर

14- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। 7 मीटर

15- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। 7 मीटर

16- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। 7 मीटर

17- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। 7 मीटर

18- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। 7 मीटर

19- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। 7 मीटर

20- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। 7 मीटर

891 रुबा 0.635 हे०

130 मिटर/105 रु०

7 मीटर

130 मिटर/105 रु०

प्रार्थी के हस्ताक्षर

पत्र व्यवहार का पता

उप खण्ड अधिकारी की आख्या

कृषक का नलकूप तकनीकी तौर पर दिया जा सकता है। यह स्कीम में होगा तथा फीडर से दिया जायेगा/प्रस्तावित कृषक पर या परिवार के सदस्यों पर विद्युत सम्बन्धी कोई खर्च नहीं है। सिंचाई कार्य द्वारा किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
नया नलकूप के प्रस्तावित स्थल गाटा संख्या 891/0635 में बोरिंग चालू हालत में है तथा सिंचाई का कार्य नलकूप से किया जा रहा है। बोरिंग नहीं है। नया नलकूप योजना 7.5 अं० देने की संस्तुति की जाती है।